रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937
No. 2121] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

का.आ. 2678(अ).–खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 2006 के नियम 15 के साथ पठित, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संख्यक का.आ. 604(अ) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:–

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 31 एवं 32 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामत:–

क्र.सं.	नाम/पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	नियुक्ति की अवधि
"31	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	27 फरवरी, 2017
32	श्री शिवाजी अधलराव पाटिल, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य	27 फरवरी, 2017"

[फा. सं. 6(6)/2013-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संख्यांक का.आ. 604 (अ.) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

S.O. 2678(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 604(E) dated 28th February, 2014, namely:-

In the said notification, for serial numbers 31 and 32 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted namely:-

Sr.No.	Name/Designation	Chairman/Member	Term of Appointment
"31	Shri Arjun Ram Meghwal, Member of Parliament (Lok Sabha).	Member	Till 27th February,2017
32	Shri Shivaji Adhalrao Patil, Member of Parliament (Lok Sabha).	Member	Till 27th February,2017"

[F. No. 6(6)/2013-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 604(E) dated 28th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

का.आ. 2679(अ).– जबकि भारत के राजपत्र, असाधरण, दिनांक 2 जनवरी, 2014 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संख्या का.आ. 14(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 2013 में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) जिसे इसके पश्चात अप्राधिकृत अधिभोगियों, नामत: कस्तूरबा सेवा मंदिर ट्रस्ट (केएसएमटी) की बेदखली के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत पंजाब राज्य में राजपुरा-140401 की स्थानीय सीमाओं के अंदर पट्टेवाली भूमि के संबंध में श्री एल. हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को संपदा अधिकारी के रूप में सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया;

और जबकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संख्या का.आ. 2952(अ) दिनांक 21 नबम्बर, 2014 में भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने पुन: श्री एल. हौकिप, निदेशक को संपदा अधिकारी के रूप में 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए नियुक्त कर दिया;

और जबकि, संपदा अधिकारी ने कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास, राजपुरा और सभी व्यक्ति, जो पट्टे पर दी गई भूमि या उसके किसी भाग के दखल में हो सकते हैं, को निदेश देते हुए उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त परिसर खाली करने तथा बकाया किराये 10,220.67 लाख रुपये की क्षतियों का भुगतान करने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन तारीख 12 मार्च, 2015 को एक आदेश पारित किया गया था;

और जबकि, कस्तूरबा सेवा मंदिर सेवा न्यास ने संपदा अधिकारी द्वारा पारित तारीख 12 मार्च, 2015 के आदेश को अपास्त करने के लिए जिला और सत्र न्यायालय, पटियाला के समक्ष एक अपील फाइल कर दी है;

और जबकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संख्या का.आ. 1876(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2015 में भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने श्री एल. हौकिप, निदेशक को 30 सितम्बर, 2015 तक पुन: नियुक्त कर दिया;

और जबकि, केंद्र सरकार केएसएमटी द्वारा दायर की गई अपील पर लड़ने के लिए और बेदखली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक संपदा अधिकारी को नियुक्त करना आवश्यक समझती है;

अब, इसीलिए, केंद्रीय सरकार संपदा अधिकारी के 12 मार्च, 2015 के उक्त आदेश के विरुद्ध कस्तूरबा सेवा मंदिर ट्रस्ट द्वारा फाइल अपील पर लड़ने और बेदखली प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयोजन से सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एल. हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मुकदमे के निपटारे तक संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4(33)86-केवीआई-I]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015.

S.O. 2679(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 14(E), dated the 30th December, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd January, 2014, the Central Government appointed Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the Estate Officer for a period of three months with effect from the date of publication of the said notification in the Official Gazette in respect of the leased land within the local limits of Rajpura-140401 in the State of Punjab under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), hereinafter referred to as the said Act, for the purpose of eviction of unauthorised occupant, namely, Kasturba Seva Mandir Trust (KSMT);

And whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 2952 (E), dated the 21st November, 2014, the Central Government further appointed Shri L. Haokip, Director, as the Estate Officer for a period upto 31st March, 2015;

And whereas, the Estate Officer passed an order dated 12th March, 2015 under section 3 of the said Act, directing the KSMT, Rajpura and all persons in occupation of the leased land or any part thereof, to vacate the premises within fifteen days of the date of publication of the said order and to pay or deposit arrears of rent and damages amounting to rupees 10,220.67 lacs within fifteen days of the date of publication of the said order;

And whereas, the KSMT has filed an appeal before the District and Session Court, Patiala to set aside the said order dated 12th March, 2015 passed by the Estate Officer;

And whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1876(E), dated the 10th July, 2015, the Central Government further appointed Shri L. Haokip, Director, as the Estate Officer for a period upto 30th September, 2015;

And whereas, the Central Government considers it necessary to appoint an Estate Officer to contest the appeal filed by the KSMT and to complete the eviction process.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, the Central Government hereby appoints Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the Estate Officer with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the purpose of contesting the appeal filed by the KSMT against the said order of the Estate Officer dated 12th March, 2015 till the disposal of the case and to complete the eviction process.

[F. No. 4(33)/86-KVI-I]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.